न्यायालय–सचिव–सह–रिविजन प्राधिकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–09 / 2024

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मो0 अफजल एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद मो0 अफजल, पिता–एनुल हक, ग्राम–नीमारंग, पो0+थाना–जमुई, जिला–जमुई द्वारा समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जमुई के अपीलीय न्यायालय में दायर वन अपील वाद सं0–01 / 2024 में दिनांक–20.08.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–20.05.2023 को कठबजरा सुरक्षित वन में अवैध खनन एवं परिवहन से संबंधित है। अधिहरण वाद की कार्रवाई श्री अनीश कुमार, वनपाल बोड़वा वन परिसर के प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन के अनुसार दो ट्रक निबंधन संख्या–NLO1AB-1176 & JHO9U-9237 पर बोल्डर लोड सहित 2326 सी.एफ.टी क्वार्टज पत्थर का अवैध खनन एवं परिवहन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार वन संशोधन अधिनियम, 1989) की धारा–52(3) के अंतर्गत प्रारम्भ की गई है। इसमें अभियुक्तों द्वारा भारतीय वन (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) अधिनियम, 1927 की धारा–33(1) (बी), (सी) एवं 41 का उल्लंघन होना बताया गया है। जप्त वाहन को चकाई वन प्रक्षेत्र कार्यालय के प्रागण में रखा गया है।

घटना का प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन जप्ती सूची के साथ वनपाल बोड़वा के द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई को दिनांक–21.05.2023 को भेजा गया तथा एक प्रति उचित माध्यम से वन प्रमंडल कार्यालय, जमुई को दिनांक–21.05.2023 द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई को दी गई। इस अधिहरण वाद की पूर्ण जाँच प्रतिवेदन दिनांक–06.03.2023 द्वारा अभियुक्तों के उपर न्यायिक कार्रवाई हेतु मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई को दी गई।

अधिहरणवाद सं0–12 / 2023 बिहार सरकार बनाम मो. अफजल में सुनवाई पूरी करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल

जमुई द्वारा दिनांक–30.12.2023 को भारतीय वन (बिहार संशोधन अधिनियम–1989) अधिनयम 1927 की धारा–33 (1)(बी)(सी) एवं 41 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम–1989 की धारा 52(3) के तहत दो ट्रक निबंधन संख्या–NL01AB-1176 & JH09U-9237 तथा जप्त पत्थर को राज्यसात करने का आदेश पारित किया गया।

मो0 अफजल द्वारा अधिहरण न्यायालय से दिनांक–30.12.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला दण्डाधिकारी, जमुई के अपीलीय न्यायालय में वन अपीलवाद सं0–01/2024: मो0 अफजल एवं अन्य बनाम प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई एवं अन्य दायर किया गया। इस अपील वाद में दिनांक–20.08.2024 को समहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, जमुई द्वारा अंतिम आदेश पारित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को निदेश दिया कि वादी मो0 अफजल को बोल्डर सहित वाहन ट्रक सं0–NL01AB-1176 & JH09U-9237 हस्तगत करायें।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई द्वारा जिला दण्डाधिकारी, जमुई के अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–20.08.2024 के विरूद्ध रिविजन न्यायालय में दिनांक–09.10.2024 को रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजनवाद सं0–09/2024: बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मो0 अफजल एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जमुई के अपीलीय न्यायालय से पारित आदेश दिनांक–20.08.2024, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल के अधिहरण न्यायालय से दिनांक–30.12.2023 को पारित आदेश, रिविजकर्त्ता के रिविजन याचिका, प्रतिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखे गए पक्ष एवं उभय पक्षों के बहस के आलोक में निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. प्रतिपक्षी के ट्रक सं0– NL01AB-1176 & JH09U-9237, जिनपर पत्थर बोल्डर लदे हुए थे, दिनांक–20.05.2023 को रात्रि में जमुई वन प्रमंडल के झाझा वन क्षेत्र के अंतर्गत कठबजरा सुरक्षित वन सीमा पर वन विभागीय गश्ती दल द्वारा पीछा

कर पकड़े गए। पकड़े गए ट्रकों पर पत्थर, बोल्डर खनन एवं परिवहन संबंधी कोई वैध कागजात नहीं थे।

2. पकड़े जाने के भय से ट्रक के चालक, खलासी रात्रि का लाभ उठाकर भाग गए।

3. अधिहरण न्यायालय के समक्ष प्रतिपक्षी निर्विवाद रूप से यह प्रमाणित नहीं कर सके कि जप्त पत्थर बोल्डर के वे वैध स्वामी हैं तथा पत्थर बोल्डर के खनन/परिवहन के लिए उनके पास सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रदत्त लाईसेंस एवं चालान उपलब्ध है। इसका दायित्व भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रतिपक्षी की है।

4. अधिहरण न्यायालय के आदेश दिनांक–30.12.2023 के विरूद्ध समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी के अपीलीय न्यायालय में 30 दिनों के भीतर अपील दायर नहीं किया गया अपितु, 77 दिनों बाद दिनांक 18.03.2024 को अपील दायर किया गया तथा विलम्ब के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया।

5. घटना के संबंध में वनपाल एवं वन रक्षियों के बयान में कोई ऐसा तथ्यात्मक विरोधाभास नहीं है, जिससे घटना को मनगढ़ंत/असत्य ठहराया जा सके।

वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति में रिविजनकर्त्ता के रिविजन याचिका को स्वीकृत किया जाता है।

संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह0/–
09.04.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–09/2024 ...../प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– मो0 अफजल, पिता–एनुल हक, ग्राम–नीमारंग, पो0+थाना–जमुई, जिला–जमुई/शेख मोहम्मद सिकन्दर, पिता–जहीर शेख, ग्राम–वानुनगर, विरपाड़ा, जिला–जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल–735204 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–09 / 2024 ..... / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– जिला दण्डाधिकारी, जमुई / वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु०(री०)–09 / 2024 1698 / प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक 11/4/25

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/4/25

(मोख्तारूल हक)

परामर्शी